बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/मुकदमा (मधेपुरा) 09–24/2023–....................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...

समाहर्त्ता, मधेपुरा का पत्रांक–656–2/स्था०, दिनांक–05.08.2014 द्वारा श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के विरूद्ध उदाकिशुनगंज अंचल के मौजा–हरैली अंतर्गत वास भूमि रहित महादलित परिवार को बसाने हेतु खाता संख्या–34, खेसरा संख्या–753, रकवा–75 डिसमिल भूमि का क्रय किया गया, भूमि विवादित होने के कारण लाभार्थियों को दखल कब्जा नहीं दिलाये जाने एवं अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक–352–2/रा०, दिनांक–25.07.2011 द्वारा वास भूमि रहित महादलित परिवारों को क्रय की गई भूमि पर दखल दिलाने की कार्रवाई करने, क्रय की गई भूमि की एक मुश्त राशि की वसूली करने अथवा उसी विक्रेता से अन्य विवाद रहित भूमि का निबंधन कराने संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आरोप पत्र गठित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. समाहर्त्ता, मधेपुरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–777(नि०को०), दिनांक–13.11.2014 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में उपरोक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या–92(नि०को०), दिनांक–27.01.2015 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या–109(नि०को०), दिनांक–29.01.2015 द्वारा उक्त आरोपों की जाँच हेतु, बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005(समय–समय पर संशोधित) के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को नियुक्त किया जाय, के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा का आदेश ज्ञापांक–161–2/स्था०, दिनांक–13.02.2015 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा का पत्रांक–79–1/रा०, दिनांक–22.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अधिगम/मंतव्य प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में वर्णित दोनों आरोप को प्रमाणित बताया गया, के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–1196(नि०को०), दिनांक–01.10.2015 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय स्पष्टीकरण दिनांक–15.10.2015 विभाग को उपलब्ध कराया गया, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–115(नि०को०), दिनांक–27.01.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मंतव्य की माँग की गई, के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा का पत्रांक–32–1/रा०, दिनांक–16.03.2016 द्वारा अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें दोनों आरोप को प्रमाणित एवं द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार्य योग्य नहीं बताया गया।

5. समाहर्त्ता, मधेपुरा से प्राप्त आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम, श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं प्राप्त अधिगम पर समाहर्त्ता, मधेपुरा का मंतव्य पर सम्यक विचारोपरांत लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कदाचार के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–583(नि०को०), दिनांक–27.05.2016 द्वारा श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय कोशी प्रमंडल, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(x) के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया।

6. उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपीलीय प्राधिकार–व–रिविज़नल प्राधिकार–सह–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष सर्विस अपील वाद संख्या–11/2016–17 सुरेश कुमार बनाम प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें प्रस्तुत अपील, प्रतिवेदन, विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुनने के उपरांत विस्तृत समीक्षोपरांत विभागीय ज्ञापांक–47(11), दिनांक–20.01.2023 द्वारा श्री कुमार का अपील आवेदन को खारिज किया गया।

7. उक्त अनुशासनिक कार्रवाई के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–8365/2023 सुरेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–02.07.2025 "Both the orders impugned Dated-19.01.2023 and 27.05.2016 are hereby set aside", "The Concerned respondent direct to reinstate the service of petitioner with all consequential benefits probably within a period of three months from today" के अनुपालन में विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को बर्खास्त करने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–583(नि०को०), दिनांक–27.05.2016 एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–47(11), दिनांक–20.01.2023 को रद्द करते हुए श्री कुमार को अनुमान्य सभी वित्तीय लाभ दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

निबंधित / ई–मेल

ज्ञापांक–15 / मुकदमा (मधेपुरा) 09–24 / 2023– (15) / रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / समाहर्त्ता, मधेपुरा / आयुक्त का कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

निबंधित / ई–मेल

ज्ञापांक– 15 / मुकदमा (मधेपुरा) 09–24 / 2023– (15) / रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा सम्प्रति बर्खास्त **पिता–स्व० मदन लाल, ग्राम–रसुलपुर दहला, नया टोला, थाना+पो०+जिला–साहेबगंज, झारखंड, पिन–816109** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक– 15 / मुकदमा (मधेपुरा) 09–24 / 2023– (15) / रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक– 15 / मुकदमा (मधेपुरा) 09–24 / 2023– 1085 (15) / रा0, पटना–15, दिनांक– 20/7/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/7/26

(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।